Dr.Sunita Kumari, Guest Asst Prof
Dept of H.Sc
SNSRKS College, Saharsa
BA Part-III(H)

Dt.23/02/2022

सामुदायिक विकास के सिद्धान्त

Principles of community Development

सामुदायिक विकास के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है-

(1) संगठन की आवश्यकता (Needs of organization)- समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि उन्हें संगठन की आवश्यकता है। लोगों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी बहुत सी समस्याएँ हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है क्योंकि उसी स्थिति में उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और यह सब संगठन के माध्यम से ही संभव है।

(2) संगठन के उद्देश्य एवं कार्यक्रम की जानकारी (Information regarding organization & working procedure) प्रत्येक संगठन की स्थापना के मूल में कुछ उद्देश्य निहित होते हैं तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक योजना अथवा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार सामुदायिक संगठन के भी अपने भी कुछ उद्देश्य एवं कार्यक्रम होते हैं। संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों की जानकारी समुदाय के सभी लोगों को होनी चाहिए।

(3) संगठन सिद्धान्त का लचीलापन (Flexibility in ~~Goods~~ Goals of organization):— समय के अनुसार प्रत्येक चीज में परिवर्तन आवश्यक है अन्यथा अनुकूलता के अभाव में वह चीज स्थायी नहीं रह सकेगी। यही बात संगठन के संबंध में भी लागू होती है। अपने निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समयानुसार संगठन के सिद्धान्तों तथा नियमों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। किसी समस्या-विशेष के संदर्भ में समाधान के तरीके में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) अनुकूलन का सिद्धान्त (Principle based on Adaptibility)- सामुदायिक संगठन एक ओर तो स्वयं समाज की परिवर्तित दशाओं से अपना अनुकूलन करता रहता है दूसरी ओर वह इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करता है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज से अनुकूलन कर सके। संगठन में अनुकूलन का गुण होने से ही यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है और जब कभी भी इसमें यह गुण

समाप्त हो जाता है तो इसमें सदस्यों का विश्वास नहीं रह जाता।

(5) सहभागिता का सिद्धान्त (Principle based on co-operation) — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए उनमें सामुदायिक भावना का होना नितान्त आवश्यक है। समाज-सेवी वर्ग के लोग तथा विभिन्न समूह समुदाय के उत्थान तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सभी को समान रूप से सहयोग द्वारा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।

(6) सामुदायिक नेतृत्व की आवश्यकता (Need of community leadership) — समुदाय के लोगों की सहभागिता के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय के नेता को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। समुदाय के लोग अपने नेता के मार्गदर्शन में सामुदायिक संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। नेता प्रभावशाली होना चाहिए तथा उसे उस समुदाय के अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्य (Functions):— इन योजनाओं के द्वारा निम्नलिखित कार्य हुए हैं—

(1) कृषि संबंधी विकास :— कृषि सुधार और उन्नति की योजनाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत रासायनिक खादों का वितरण किया गया। उत्तम बीजों का वितरण तथा सिंचाई के अंतर्गत नए कुँए लगाए गए और कृषि-ज्ञान-प्रसार के लिए प्रदर्शन किए गए। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। गाँवों का विद्युतीकरण किया गया और कृषि की नई तकनीकी का प्रसार किया गया।

(2) स्वास्थ्य और सफाई :— स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई। पीने के पानी के लिए कुँए खोदे गए, नालियों का निर्माण हुआ, ग्रामीण शौचालय बनवाए गए, कुँओं की मरम्मत की गई और प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोले गए।

(3) शिक्षा :— सामुदायिक विकास योजनाओं में शिक्षा का प्रसार करने और अशिक्षा दूर करने के प्रयास किए गए। इन योजनाओं के अंतर्गत गाँव में नए स्कूल स्थापित

किए गए, मेडो को साइन बनाया गया है और बालवाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

(4) **यातायात एवं आवागमन** :- सामुदायिक योजनाओं के द्वारा गाँवों में यातायात के विकास के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। इन योजनाओं में कच्ची सड़कों का निर्माण हो रहा है और पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई है।

(5) **कर्मचारी प्रशिक्षण** :- विकास कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अनेक केन्द्रों की स्थापना की गई है -
• विस्तार शिक्षण केन्द्र • सामाजिक शिक्षा आर्गनाइजर प्रशिक्षण केन्द्र • स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र • ओरियण्टल ट्रेनिंग सेंटर • मसूरी में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट • राजपुर ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट • मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र।